"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2005—भाद्र 25, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री नन्द कुमार, भा.प्र.से. (एमएच : 1989), छत्तीसगढ़ राज्य में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार) के पद पर कार्यरत है. महाराष्ट्र सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई के पत्र क्रमांक डीईपी-1004/सी.आर. 28/2004/X, दिनांक 7-6-2005 के द्वारा श्री नन्द कुमार, को अधिसमय वेतनमान रु. 18400-500-22400/- में (छत्तीसगढ़ राज्य में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर होने के फलस्वरूप) पदोन्नति हेतु दिनांक 1-6-2005 से उपयुक्त पाया गया है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. अत: एतद्‌द्वारा श्री नन्द कुमार को अधिसमय वेतनमान रु. 18400-500-22400/- का लाभ पदोन्नति दिनांक 1-6-2005 से प्रदान किया जाता है तथा उन्हें सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार) के पद पर ही स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2005

क्रमांक ई-7/14/2004/1/2.—श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से., सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 25-7-2005 से 30-7-2005 तक (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24 एवं 31 जुलाई, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग., बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2005

क्रमांक ई-7/2/2005/1/2.—सुश्री अलरमेल मंगई डी., भा.प्र.से. सहायक कलेक्टर, कोरबा को दिनांक 16-6-2005 से 17-6-2005 तक (2 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 18 एवं 19-6-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. सुश्री अलरमेल मंगई डी., भा.प्र.से. अवकाश से लौटने पर सहायक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री अलरमेल मंगई डी., भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अलरमेल मंगई डी., भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2005

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा.प्र.से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 27-8-2005 से 2-9-2005 तक (7 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 26-8-2005 एवं 3, 4 सितम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2005

क्रमांक ई-7/4/2003/1/2.—श्री एस. के. तिवारी, भा.प्र.से., कलेक्टर, महासमुंद को दिनांक 23-8-2005 से 31-8-2005 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, महासमुंद के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री तिवारी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री तिवारी के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. के. टण्डन, रा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, महासमुंद का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

क्रमांक 2053/1569/2005/1/2.—श्री आई. सी. पी. केशरी, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 29-8-2005 से 9-9-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-8-2005 एवं 10, 11 सितम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री केशरी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री केशरी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केशरी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2005

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/2655/बी-14/12/2002/14-2.—राज्य शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक-537/बी-14/12/2002/14-2 दिनांक 14-6-2002 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मंडल के सरल क्रमांक-8 में उल्लेखित "प्रबंध संचालक अथवा

उनका प्रतिनिधि (अपर संचालक कृषि) (बीज) छ. ग. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड" के स्थान पर "प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम" का समावेश एतद्द्वारा किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. आर. कृदत्त, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 16-13/2001/11/(6).—यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि जनहित में तथा श्रमिक वर्ग के हित में औद्योगिक इकाई अर्थात् मेसर्स अम्बूजा सीमेंट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर को सहायता उपक्रम घोषित करना आवश्यक है.

2. अतएव छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 1978 (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा 3 तथा सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1985 (क्रमांक 1 से 5 1986) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा औद्योगिक इकाई अर्थात् "मेसर्स अम्बूजा सीमेंट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर" को दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए सहायता उपक्रम घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 16-13/2001/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-13/2001/11/(6) दिनांक 29-8-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

Raipur, the 29th August 2005

No. F 16-13/2001/11/(6).—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary in the Public Interest and in the Interest of workers to declare the Industrial Unit, namely M/s Ambuja Cement Eastern Ltd. (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur, a relief undertaking.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision to Section 3 of the Chhattisgarh Sahayata Upkram (Vishesh Upbandh) Sansodhan Adhiniyam, 1978 (No. 32 of 1978) and under section 32 of the sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, (1 to 5, 1986) the State Government hereby declare the Industrial Unit namely "M/s AMBUJA CEMENT EASTERN LTD., (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur" a relief undertaking for the period with effect from 1st April, 2004 to 31st March, 2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANUP KUMAR SHRIVASTAVA, Special Secretary.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

क्रमांक/डी-5067/1109/2005/आजावि.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/डी-3588/1109/2003/आजावि दिनांक 31 जुलाई, 2003 के कैफियत कालम में अंकित "यह जाति मुख्यत: रायगढ़ जिले में उड़ीसा राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करती है" को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है. तद् अनुसार पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 90 में अंकित भूलिया-भोलिया जाति का विवरण निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
भूलिया-भोलिया	सूती कपड़ा बुनना	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, विशेष सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2005

फा. क्रमांक 6997/21-ब/छ.ग./05.—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम क्रमांक 29) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, अध्यक्ष के परामर्श से श्री एन. एस. राजपूत, न्यायिक सदस्य को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का उपाध्यक्ष पदाभिहित करती है.

F. No. 6997/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1 A) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastam Adhikaran Adhiniyam, 1983 (Act No. 23 of 1983), the State Government in consultation with the Chairman hereby designates Shri N. S. Rajput, Judicial Member as Vice Chairman of the Chhattigarh Arbitration Tribunal with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2005

क्रमांक 7025/1624/21-ब/छ.ग./05.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, धर्म कर्म कराने वाले (मिनिस्टर आफ रिलीजन) पास्टर श्री जी. ए. कुमार बापिस्ट, चर्च भिलाई को छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में :—

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और

(2) भारतीय क्रिश्चियनों, (इसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाणपत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 7025/1624/21-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to Shri G. A. Kumar, Baptist Church, Bhilai for Durg District State of Chhattisgarh :—

(1) To solemnise marriage, and

(2) To grant certificate of marriage solemnised between the Indian Christians for Durg District, State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत रे, उप-सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/120-4/908/मबावि/सावि/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 711 (अ), दिनांक 1-6-2004 के माध्यम से जारी किये गये "देश में दत्तक ग्रहण के लिए दिशा-निर्देश 2004" को अंगीकृत करता है.

यह दिशा-निर्देश इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2005

विषय :—मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के मुख्यालय में स्वीकृत सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद को उच्च स्तर (अपग्रेड) किए जाने के संबंध में.

क्रमांक एफ-10/6/2004/13/1.—राज्य शासन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सेट-अप में स्वीकृत सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं

सहायक विद्युत निरीक्षक (वेतनमान 8000-275-13500) के एक पद को समाप्त करते हुए कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक (वेतनमान 10000-325-15200) में निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उपरोक्त पद पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-12 मुख्य शीर्ष-2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-103-संग्रह प्रभार बिजली शुल्क-4281-संग्रह प्रभार, बिजली शुल्क-01 वेतन-भत्तों आदि के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. जावक क्रमांक 1127/पंजीयन/1424/बी-5/2005, दिनांक 1-9-2005 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार जारी की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/36/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बागमुण्डी पनेड़ा प.ह.नं. 09	6.27	अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 31 अगस्त 2005

क्रमांक/6833/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कोलियारी प.ह.नं. 56	3.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 अगस्त 2005

क्रमांक/6834/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	पांडेटोला प.ह.नं. 42	3.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	झालाटोला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 अगस्त 2005

क्रमांक/6835/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	झालाटोला प.ह.नं. 42	6.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	झालाटोला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 अगस्त 2005

क्रमांक/6836/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	शिकारीमहका प.ह.नं. 41	7.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिकारी महका जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 सितम्बर 2005

क्रमांक/7003/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	बजरंगपुर-नवागांव प.ह.नं. 21	32.07 3/4	पुलिस अधीक्षक, पु. प्र. वि. राजनांदगांव.	छ. ग. पुलिस कर्मचारी के प्रशिक्षण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 4 अगस्त 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/67.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	चिचोली प.ह.नं. 5	0.210	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	बगदर उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	पोडी	0.918	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 14 जुलाई 2005

क्रमांक/3432/क/भू-अर्जन/12/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	रेंगानार	1.58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	रेंगानार व्यपवर्तन योजना हेतु नहर/नाली निर्माण.

दंतेवाड़ा, दिनांक 14 जुलाई 2005

क्रमांक/3435/क/भू-अर्जन/10/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा	मसेनार	3.081	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, दन्तेवाड़ा.	रेंगानार व्यपवर्तन योजना हेतु नहर/नाली निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग. दिनांक 30 अगस्त 2005

क्रमांक 127/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	मासूलगोन्दी प.ह.नं. 33	0.53	कार्यपालन यंत्री, लोक नि. विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बोरतरा से परपोड़ी मार्ग 3/2 कि.मी. पर सुरही नदी पर पहुंच मार्ग ग्राम मासूलगोन्दी.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अगस्त 2005

क्रमांक 128/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	तुमडीपार प.ह.नं. 33	0.25	कार्यपालन यंत्री, लोक नि. विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बोरतरा से परपोड़ी मार्ग कि. मी. 3/2.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त 2005

क्रमांक 539/प्र. 1/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुरूर	कुलिया	0.13	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (सेतु निर्माण), रायपुर.	धमतरी-बालोद मार्ग में देव-रानी जेठानी नाला पर पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त 2005

क्रमांक 539/प्र. 1/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	सुन्दरा प.ह.नं. 1	0.03	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. बालोद, संभाग-बालोद.	ग्राम ओरमा-भोथली-सुन्दरा मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त 2005

क्रमांक 539/प्र. 1/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	ओरमा प.ह.नं. 5/2	0.39	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. बालोद, संभाग-बालोद.	ग्राम ओरमा-भोथली-सुन्दरा मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2005

क्रमांक 1263/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	रौंदा प.ह.नं. 1	0.43	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ.ग.	रौंदा जला. नया बायीं तट नहर हेतु भूमि अर्जन..

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2005

क्रमांक 1266/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	रौंदा प.ह.नं. 1	0.44	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ.ग.	रौंदा जला. नया दायीं तट नहर हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	पुरेना	0.282	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बाम्हनपाली	1.664	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	मौहापाली	0.612	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	गीधा	1.293	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटे देवगांव	0.372	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	हालाहुली	0.246	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	आड़ाझर	0.129	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण ऐवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बाम्हनपाली	1.435	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	जैमुरा	0.012	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सरवानी	0.077	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	मुंगलीपाली प.ह.नं. 37	1.792	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़	झोरझोरा जलाशय नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/76.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बरभांटा प.ह.नं. 14	0.486	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	भातमाहुल माइनर भातमाहुल सब माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/78.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	डोमा प.ह.नं. 03	0.460	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	छपोरा माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/196.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सराईपाली प.ह.नं. 4	0.392	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	धुरकोट उप वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/212.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कुधरी प.ह.नं. 10	0.141	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रं. 4, डभरा.	कुधरी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 14 जुलाई 2005

क्रमांक/3439/11/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पीटाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.075 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70	0.192
100	0.064
46	0.152
33	0.496
521	0.296
31	0.128
504	0.224
529	0.176
525	0.032
97	0.421
101	0.008
514	0.032
37	0.421
519	0.136
35	0.176
514	0.032

(1)	(2)
524	0.024
528	0.065
योग	3.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-अरनार से माड़ेंदा पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 2 अगस्त 2005

क्रमांक/3894/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कारली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2227	0.10
योग	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-दन्तेवाड़ा व्यपवर्तन योजना के कारली शाखा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक/3897/क/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-धुरली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.183 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.202
110	0.113
10	0.113
40	0.149
24	0.145
38	0.105
715	0.485
74	0.025
736	0.017
58	0.013
674	0.329
77	0.009
746/1	0.361
655	0.073
688	0.161
336	0.437
12	0.202
111	0.017
23	0.025
66	0.033
112	0.017
64	0.009
725	0.081

(1)	(2)
75	0.029
656	0.041
59	0.297
682	0.345
743/1	0.217
735	0.061
646	0.285
298	0.437
334	0.081
109	0.017
6	0.121
14	0.095
27	0.217
36	0.161
79	0.633
98	0.202
76	0.153
57	0.161
100	0.497
301	1.077
745/1	0.185
652	0.899
607	0.721
332	0.041
योग	10.183

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बासनपुर व्यपवर्तन योजना धुरली.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2005

क्रमांक 2/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-बारीउमराव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
135/4	0.057
161/5	0.194
137/1	0.085
योग	0.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/4 अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-भरूवाडीह, प. ह. नं. 17/33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.897 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226/1	0.018
231/1	0.093
231/2	0.089
241/4	0.012
232, 233, 234, 235, 236, 237	0.041
238, 239	0.041
240	0.016
241/3	0.022
241/5	0.076
241/2	0.022
241/1	0.109
251/1	0.010
241/8	0.008
251/8	0.076
251/3	0.041
248	0.115
247/1	0.056
247/3	0.052
योग 18	0.897

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भरूवा-डीह-बीजराडीह मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदा-बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

क्रमांक 457/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बीडसरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
330	0.020

(1)	(2)
332/1	0.012
333	0.012
334/3	0.012
335/4	0.012
335/3	0.016
329/1	0.020
योग	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचंदा 1 एल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 475/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओटेकेरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.5[illegible]3 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3117/3	0.008
3117/8	0.024
3117/5	0.034
3116/1, 3112	0.010
3113	0.006
2866/1	0.002
3114/1	0.016
3115/1	0.002
3105/1, 2	0.026
3100	0.044
3082	0.004
3076/1	0.004
3077/1	0.004
3078	0.004
2885/2	0.014
2891/2	0.004
2905/2	0.002
2898	0.006
2650/1	0.004
1433	0.012
1432	0.006
2788/2	0.014
2787	0.004
2773/2	0.020
2773/1	0.081
2749	0.012
2671/3	0.002
2671/4	0.002
2671/7	0.026
2671/10	0.002
2650/2	0.010
2651	0.012
2652/1	0.016
1424	0.004
1435/2	0.008
1430	0.069
योग 36	0.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरेठीकला माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 22/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.618 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
415/3	0.020
1071/1	0.016
1067	0.012
46	0.036
38/1	0.004
38/2	0.020
34	0.004
33/1 ख	0.004
32	0.093
29	0.004
197/1	0.004
197/2	0.004
196/1	0.004
242/1	0.024
242/2	0.024
415/4	0.008
415/7	0.004
494/1	0.008
480/1	0.008
417/8	0.004
492/1	0.032
484/1	0.004
966	0.004
968/1	0.020
3162/1	0.016
3162/2	0.004
1066	0.028
1064	0.045
1075, 1076	0.004
1167/2	0.008
1162	0.008
1163	0.012
1237	0.008
1238	0.004
1240/2	0.008
1241/3	0.053
1241/1	0.004
1227	0.049
योग	0.618

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गाडामोर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 24/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भनेतरा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
373/2	0.004
32	0.004
7	0.004
योग	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भनेतरा ब्रांच माइनर 3 एल.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 जनवरी 2005

क्रमांक 55/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्टी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.771 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1827	0.096
849	0.016
1624	0.093
848	0.032
1845	0.226
1586/2	0.049
1569/1	0.036
1570	0.008
1571	0.048
1578	0.020
1853/1, 1854	0.112
1850/1	0.020
1878/2	0.024
1893/2	0.093
1900/3	0.024
1900/2	0.024
1902/1	0.060
847/3	0.012
852/1	0.052
1588, 1595	0.045
1619/2	0.012
1623/1	0.040
1630	0.008
1902/2	0.016
1620	0.048
847/4	0.016
1583	0.016
1853/3	0.024
847/1	0.057
831	0.064
850	0.036
1874	0.032
1893/3	0.060
1894	0.020
1897	0.012
1900/1	0.008
1625/1	0.072
1641/1	0.024
1852/1	0.044
830/2, 830/3	0.072
योग 39	1.771

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मर्क वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 151/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुडी, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
387/1	0.040
385/3	0.016
79/5	0.040
81/1	0.049
योग	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतापाली सब डिवाय नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 152/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघीतराई, प.ह.नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.284 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102/8	0.024
102/2	0.024
117/1	0.028
223	0.032
480/2	0.012
473/1	0.028
61/1	0.024
361/7	0.020
96	0.020
453/2	0.020
453/5	0.016
360/7	0.016
315/4	0.020
योग	0.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघीतराई माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 148/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.209 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
582	0.024
42/3	0.032
248/7	0.008
81/1, 4	0.089
81/3	0.036
81/2	0.020
योग	0.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 1 आर ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 156/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धुरकोट, प.ह.नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1111/3	0.045
1144/3	0.040
योग	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धुरकोट माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 158/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-चण्डा, प.ह.नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
342/1, 14	0.073
योग	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेरो सब डिवाय नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 205/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.213 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5869, 5877/1	0.112
5877/2	0.073
5878	0.020
5870	0.008
योग	0.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गलगलाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 206/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.740 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2923/2, 2921/1	0.081
2923/1, 2921/2	0.040
2747/1	0.053
2708/3	0.142
2708/1	0.045
2756	0.012
2708/7	0.140
2931	0.004
2932	0.004
2937	0.020
2945/2	0.036
2936	0.036
2938/2, 2938/1	0.048
3046	0.024
3045, 3059/1, 3060/1	0.057
2973/1	0.020
3169	0.004
3166, 31	0.072
3168	0.012
3327/3	0.040
3327/4	0.012
3224/1, 3273/1	0.040
3272, 3273/2	0.180
3048	0.024
3014	0.028
2747/3	0.008
2739	0.061
3061	0.012
3060/2	0.004
3308/4	0.032
3308/5	0.032
3313	0.040

(1)	(2)
2565/4	0.056
3329/2	0.121
2567	0.061
3308/6	0.024
3311	0.004
3312	0.008
3314/1	0.020
3158	0.020
3345/2, 3324/2	0.064
योग 35	1.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जैजैपुर माइनर 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक 215/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का संमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरदीडीह, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.461 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
320	0.004
336/1	0.053
336/5	0.004
336/2	0.020
368	0.020
362/1	0.018
371	0.006
362/3	0.004
356	0.004
597/1	0.045
598/1	0.012
596/1	0.024
599/2	0.032
629	0.036
607/2	0.004
619/2	0.057
780/1	0.012
867	0.028
868	0.032
876	0.016
309/2	0.012
597/2	0.006
596/2	0.004
योग 22	0.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कचंदा उप वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक 217/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.529 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1291/3	0.002
1291/1	0.004
1640/2	0.028
1298	0.012
1299/5	0.045
1304	0.053
1305/2	0.004
1333	0.004
1299/6, 1300, 1303	0.077
1339	0.004
1388	0.004
1448/2	0.049
1451/1	0.064
1429	0.012
1639	0.134
2645	0.101
1259/2	0.332
1325/1	0.073
1289	0.024
1280	0.069
1326/1	0.040
1465, 1664/2	0.028
1462	0.097
1448/1	0.004
1444/2	0.028
1443/2	0.064
1299/2	0.145
1442	0.008
1452	0.020
योग	1.529

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- परसाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक 218/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.345 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1639	0.040
1667/3	0.004
1658, 1657/2	0.032
1690/3	0.045
1629	0.049
1630/1	0.065
1603, 1628	0.048
1608/1	0.028

(1)	(2)
1600/2	0.024
1591, 1592	0.093
1593	0.024
1579/2	0.016
1532	0.016
1533	0.045
1535/1	0.028
1535/3	0.020
1535/5	0.004
1379	0.056
1376	0.024
2600/2	0.045
2601	0.101
1391/1ग	0.020
1686	0.016
1655	0.048
1657/1	0.048
1654	0.085
1536, 1537	0.185
1401	0.060
1412, 1392/2	0.048
1391/3, 1390	0.012
1600/4	0.008
1594	0.008
योग	1.345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोराडीपा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक 219/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-रीवाडीह, प.ह.नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.285 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/2	0.012
14	0.010
22/1	0.013
75	0.008
78/1	0.008
78/2	0.040
78/3	0.004
81	0.016
595/2	0.019
413	0.005
596	0.016
595/1	0.012
790/1	0.014
735	0.028
72/1	0.013
397	0.004
410	0.004

	(1)	(2)
	733/4	0.059
योग		0.285

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- माइनर 2 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2005

क्रमांक 227/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-खेमड़ा, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	684/2	0.045
	684/5	0.040
	127	0.008
	695/22	0.069
	683/2, 3	0.040
योग		0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टेल मायनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2005

क्रमांक 68.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-टुण्ड्रा प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.199 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	198	0.073
	197	0.008
	191	0.145
	170/1	0.081
	170/3, 170/4	0.036
	170/5, 170/6	0.077
	170/2	0.040
	173/3	0.004
	171/1	0.073
	171/2	0.057
	172/1	0.117
	172/2	0.036
	175/2	0.036
	175/1	0.101
	176/1, 176/3	0.012
	176/2	0.089
	179	0.028
	178	0.024
	180	0.113
	181	0.049
योग	19	1.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टुण्ड्रा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2005

क्रमांक 69.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरवा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-महुवाडीह, प.ह.नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
262	0.040
259	0.129
220/2	0.008
256	0.012
214, 215/1	0.073
257	0.049
218/2	0.020
230/1	0.049
230/2	0.008
220	0.020
227/2	0.032
224	0.040
223/1	0.032
219	0.052
213/1	0.020
194	0.049
195	0.020
190/1, 191/1, 196/1	0.121
147/1	0.101
147/2	0.032
166/1	0.073
165	0.020
150/1	0.036
151	0.016
127, 152, 153	0.093
113, 117	0.008
116, 118, 128	0.109
योग	1.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महुवाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2005

क्रमांक 70.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-खरवानी, प.ह.नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.403 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
134/9	0.081
134/1	0.073
134/8	0.073
134/7	0.073
134/4	0.113
167	0.154
169	0.020
170	0.109

(1)	(2)
172	0.073
353/2, 354	0.121
353/1	0.053
356/3	0.109
395	0.210
396	0.016
397/2	0.061
662	0.032
129/3	0.032
योग 17	1.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2005

क्रमांक 71.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-महुवाडीह, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.885 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
270/1	0.012
270/2	0.093
271	0.040
239/5, 239/6	0.049
272	0.053
273	0.020
253	0.049
235/1	0.065
252/1 क	0.008
252/2	0.049
235/2	0.069
252/1 ख	0.032
238/3	0.036
238/4	0.036
240/1	0.024
240/2	0.049
247/1	0.040
247/2, 287	0.040
241/2	0.008
245/1	0.093
244/1	0.020
योग 21	0.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2005

क्रमांक 72.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-सोहागपुर, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.799 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
562/1	0.049
563	0.162
566	0.085
570	0.069
571	0.036
569/1	0.069
569/2	0.085
576/1, 576/2	0.113
572/4, 575	0.049
489/1	0.020
489/2	0.129
489/3	0.077
488	0.032
490/3	0.053
486	0.073
485	0.036
484	0.028
487/1	0.081
482	0.028
481	0.032
480	0.036
479/1	0.040
478	0.065
477	0.008
476/2	0.008
461/2	0.020
462	0.032
471	0.012
470/1	0.134
470/2	0.085
463/2, 463/3	0.081
463/1	0.008
464/2	0.008
456/2	0.057
464/1	0.097
465/2	0.081
256	0.150
257, 448	0.089
258	0.065
259/2	0.065
260	0.077
261	0.073
262	0.073
290/4	0.049
287/1	0.109
287/2	0.081
286	0.113
305/1, 310, 311/1, 312, 318/2	0.154
313/1	0.040
314, 315	0.093
317	0.012
316	0.040
345/2	0.045
345/1	0.049
345/3	0.049
346	0.020
347/1, 347/3	0.121
347/2	0.016
348	0.138
योग 59	3.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2005

क्रमांक 73.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-महुवाडीह, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.003 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
268/2	0.040
268/1	0.073
269/1	0.081
250	0.073
270/2	0.089
275/2	0.085
276/2	0.093
251/2	0.061
277	0.020
249	0.032
247/5	0.053
247/6, 248	0.016
247/2, 287	0.028
288	0.012
286	0.036
293, 294	0.061
292	0.049
291	0.093
297/2	0.008
योग 19	1.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 31st August 2005

No. 525/Confdl./2005/II-3-1/2005.—Shri Dayaram Dayal, presently posted as Under-Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur, is hereby transferred and posted as IInd Civil Judge Class-I Jashpurnagar from the date he assumes charge of his office.

By order of the High Court,
R. K. BEHAR, Registrar General.

Bilaspur, the 1st September 2005

No. 01/Comp./2005.—WHEREAS a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Sajjan Lal Chakradhari, First Civil Judge Class II and Judicial Magistrate First Class, Dantewada, District Dakshin Bastar (C.G.) for his grave misconduct.

AND WHEREAS serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on Hon'ble the Chief Justice as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, Hon'ble the Chief Justice hereby places Shri Sajjan Lal Chakradhari, First Civil Judge Class II and Judicial Magistrate First Class, Dantewada, District Dakshin Bastar (C.G.) under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry.

The headquarter of Shri Sajjan Lal Chakradhari, First Civil Judge Class II and Judicial Magistrate First Class, Dantewada, District Dakshin Bastar (C.G.) for the period of suspension, is hereby fixed at Dantewada until further orders.

Bilaspur, the 1st September 2005

No. 02/Comp./2005.—WHEREAS a case against Shri Shankar Lal Baghel, First Civil Judge Class II and Judicial Magistrate First Class, Rajnandgaon, District Rajnandgaon (C.G.) for the commission of offence under sections 498-A, 323 and 506 of the Indian Penal Code filed by the Mahila Thana, Raipur before Judicial Magistrate First Class, Raipur, which is registered as case No. 443/2005 and is pending for trial.

AND WHEREAS the above circumstances warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on Hon'ble the Chief Justice as Disciplinary Authority under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, Hon'ble the Chief Justice hereby places Shri Shankar Lal Baghel, First Civil Judge Class II and Judicial Magistrate First Class, Rajnandgaon, District Rajnandgaon (C.G.) under suspension with immediate effect.

The headquarter of Shri Shankar Lal Bhagel, First Civil Judge Class II and Judicial Magistrate First Class, Rajnandgaon, District Rajnandgaon (C.G.) for the period of suspension, is hereby fixed at Durg (C.G.) until further orders.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
R. L. JHANWAR, Registrar (Inspection and Enquiry).

Bilaspur, the 25th August 2005

No. 115/II-14-1/2005(Part-III).—Shri K. P. S. Nair, Additional Registrar is appointed to the post of Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice, in accordance with the provisions contained in rule 4(2) of the "Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003", in addition to his present assignment.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. R. L. NARAYANA, Additional Registrar (Est.)